(17)

फा. संख्या 9-1/2001/एनसीटीई (प्रशासन)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी-2/10, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया
नई दिल्ली - 110016

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2001

संख्या फा. 9-1/2001 एनसीटीई धारा 32 की उपधारा 2 के खण्ड (च) तथा (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ और साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 के निमय 7 (4) के साथ पढ़ा जाए, निम्नलिखित विनियमों को संशोधित और आगे संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधित) विनियम 2001 बनाए गए हैं :

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लि अनुमति) विनियम 1995 ।

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम द्वारा अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष के लिए किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति] विनियम, 1996 ।

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998 ।

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
[सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

2—189 GI/2001

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.) की मान्यता के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998

(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक-बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998

2. इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जायेगा ।

3. उपर्युक्त विनियमों में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक निम्न जोड़ा जाता है:

क्र.सं	राजपत्र की अधिसूचना संख्या और तारीख, आदेश संख्या और तारीख	विनियम	मौजूदा प्रावधान	जोड़ा गया पाठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96/28-11/95एनसीटीई दिनांक 29.12.95	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 1995 ।	पैरा 5 (ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त	पैरा 5 (च) के नीचे निम्न जोड़ा जाए: (छ)राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/ सिफारिशों पर विचार करेगी ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली

312

			विनियम 4 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने और/अथवा दाखिले में वृद्धि करने के लिए आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	(ज) यदि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय विचार किया जायेगा । (झ) यदि मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देती/वापिस ले लेती है तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी । (ञ) यदि मान्यता नामंजूर

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

313

				कर दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझ लिया जाएगा । (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी ।
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 एनसीटीई दिनांक 6.2.1997	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम द्वारा अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य भाध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष के लिए किसी पात्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों	पैरा 6 (ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा ।	पैरा 6 (च) के नीचे निम्न जोड़ा जाए: (छ) राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/ सिफारिशों पर विचार करेगी ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

		का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 1996 ।	(च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्थाएं अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	(ज) यदि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय विचार किया जायेगा । (झ) यदि मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देती/वापिस ले लेती है तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। (ञ) यदि

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

315

				मान्यता नामंजूर कर दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझ लिया जाएगा । (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी ।
3.	7, 13.2.99/28-2/98/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998 ।	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु	पैरा 6(च) के नीचे निम्न जोड़ा जाएः (छ)राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/ सिफारिशों पर

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

			आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	विचार करेगी । (ज) यदि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय विचार किया जायेगा । (झ) यदि मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देती/वापिस ले लेती है तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

317

				(ञ) यदि मान्यता नामंजूर कर दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझ लिया जाएगा । (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी ।
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.) की मान्यता के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु	पैरा 6 (च) के नीचे निम्न जोड़ा जाए: (छ)राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

318

			आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	सिफारिशों पर विचार करेगी । (ज) यदि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय विचार किया जायेगा । (झ) यदि मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देती/वापिस ले लेती है तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा दी

3—189 GI/2001

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

319

				जाएगी । (ञ) यदि मान्यता नामंजूर कर दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझ लिया जाएगा । (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी ।
5.	12, 20.3.99, 28-4/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक-बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु	पैरा 6 (च) के नीचे निम्न जोड़ा जाए: (छ)राज्य सरकार एनसीटीई की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति को अपने विचारों/ सिफारिशों से अवगत कराएगी और समिति, मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय उन विचारों/

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

320

			आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	सिफारिशों पर विचार करेगी । (ज) यदि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय विचार किया जायेगा । (झ) यदि मान्यता के लिए आवेदन पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देती/वापिस ले लेती है तो आवेदन पत्र पर और आगे विचार करने पर तत्काल रोक लगा दी

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

321

				जाएगी । (अ) यदि मान्यता नामंजूर कर दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझ लिया जाएगा । (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी ।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

एस. के. रॉय

(एस. के. रॉय)
सदस्य सचिव

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

322

F. No. 9-1/2001/NCTE (Admn.)
National Council for Teacher Education
C-2/10 Safdarjung Development Area
New Delhi – 110 016

New Delhi; dated 6th July, 2001

No. F. 9-1/2001 / NCTE – In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993), and further read with Rule 7(4) of the NCTE Rules, 1997 the National Council for Teacher Education hereby makes the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 to amend / further amend the notifications mentioned below :-

(i) The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.

(ii) The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.

(iii) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998.

(iv) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education – C.P.Ed, B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998.

(v) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education – B.El.Ed) Regulations, 1998.

These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001.

The following additions are made in the above mentioned Regulations to the extent indicated against each of them :-

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 4/11
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Sl. No	Gazette Notification No. & Date, Order No. & Date	Regulations	Existing Provision	Addition made
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96 / 28-11/95 NCTE dated 29.12.95	The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.	Para 5 (e) & (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located. (f) Application for permission to start new course or training and / or to increase intake by recognised institutions under Regulation 4 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate from the State or union Territory in which the institution is located.	After para 5 (f) the following shall be added :- (g) The State Government shall make available to the concerned Regional Committee of NCTE its views / recommendations which will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) if NOC of the State Government is received after the last date prescribed for receipt of applications, it will be considered for processing the applications for the next academic session. (i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further consideration of

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

324

				the application will be stopped forthwith. (j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 NCTE dated 6.2.1997	The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a no objection certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b)	After para 6 (f) the following shall be added :- (g) The State Government shall make available to the concerned Regional Committee of NCTE its views / recommendations which will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) if NOC of the State Government is received after the last date prescribed for receipt of applications, it will be considered for processing the applications for the

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

325

			of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	next academic session. (i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further consideration of the application will be stopped forthwith. (j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.
3.	7,13.2.99 / 28-2/98/NCTE dated 29.12.98	The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998.	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory	After para 6 (f) the following shall be added :- (g) The State Government shall make available to the concerned Regional Committee of NCTE its views / recommendations which will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

326

			administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	(h) if NOC of the State Government is received after the last date prescribed for receipt of applications, it will be considered for processing the applications for the next academic session. (i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further consideration of the application will be stopped forthwith. (j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-99/NCTE dated 29.12.98	The National Council for Teacher Education (norms and conditions for grant of recognition of teacher education	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was	After para 6 (f) the following shall be added :- (g) The State Government shall make available to the concerned

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रकाशन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

327

		programme in Physical Education – C.P.Ed, B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998	not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	Regional Committee of NCTE its views / recommendations which will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) if NOC of the State Government is received after the last date prescribed for receipt of applications, it will be considered for processing the applications for the next academic session. (i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further consideration of the application will be stopped forthwith. (j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed. (k) Requirement of NOC shall not

सहायक नियंत्रक (प्रकाशन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

328

				apply to Government Institutions.
5	12, 20.3.99, 28-4/98-99/NCTE / dated 29.12.98	The National Council for Teacher Education (*norms* and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education – B.El.Ed) Regulations, 1998	Para 6 (e) and (f) (e) Every *institution* intending to offer a course or training in teacher education but was *not functioning* immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised *institutions under* Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	After para 6 (f) the following shall be added :- (g) The State Government shall make available to the concerned Regional Committee of NCTE its views / recommendations which will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) if NOC of the State Government is received after the last date prescribed for receipt of applications, it will be considered for processing the applications for the next academic session. (i) If during the pendency of the application for recognition, the State Government withdraws / cancels the NOC, further consideration of the application will be stopped

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

329

				forthwith. (j) If recognition is refused, the NOC issued by the State Government would be deemed to have lapsed. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.

These amendments shall come into force with immediate effect.

(S.K. RAY)
MEMBER SECRETARY

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-

330